

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में  
सी.एम.पी. संख्या 459/2019

-----

लखन बैठा

.....याचिकाकर्ता।

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

... उत्तरदातागण

-----

**कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन।**

माध्यम : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

-----

याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्री देवेश कृष्ण, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से : सुश्री बंदना सिंह, जी.ए. ॥ की ए.सी.

-----

04/04.02.2022: याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पूरक हलफनामे के माध्यम से दिनांक 27.4.2017 के आदेश की प्रमाणित प्रति निर्धारित समय के भीतर दायर नहीं की जा सकी, इसलिए रिट याचिका डब्ल्यूपीएस संख्या 5719/2017 को खारिज कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही रिट याचिका को पुनर्बहाल किया जाता है, वे उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल कर देंगे।

उपरोक्त निवेदन को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका में की गई प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

नतीजतन, रिट याचिका डब्ल्यूपीएस संख्या 5719/2017 को मूल फाइल में बहाल किया जाता है।

याचिकाकर्ता दो सप्ताह के भीतर उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल करेगा।

(आनंद सेन, जे.)

अनु/सी.पी.2.